पुजेरीपाली में 1875 से अब तक कई बार हुआ पुरातत्व की खोज

❐ मां बोर्राहासिनी और केवटिन देऊल महादेव मंदिर प्रसिद्ध

सारंगढ़ बिलाईगढ़

सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के नगर पंचायत सरिया के सीमा पर ग्राम पुजेरीपाली और पंचधार आपस में जुड़े हैं, जहां महादेव और मां बोर्रासेनी (बोर्राहासिनी) का मंदिर है। खुदाई में मिले मूर्ति को आपस में तय कर पूजा करने के लिए पंचधार में मां लक्ष्मी की मूर्ति और सरिया के जगन्नाथ मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा अर्चना कर रहे हैं।

मां बोर्राहासिनी मंदिर परिसर में अनेक खंडित और पूर्ण मूर्तियां हैं जिनका पुरातत्व सर्वे विगत डेढ़ सौ वर्ष पूर्व सन् 1875 से किया जा चुका है, जो समय समय पर जारी है। लोगों की मान्यता है कि मां बोर्रासेनी, नाथलदाई और चन्द्रहासिनी बहन हैं, जिनका दशहरा पर्व में सारंगढ़ के राजा विशेष पूजा करते थे। एक पत्थर का मंदिर है जिसे रानी का झूला कहा जाता है। रानी का झूला चार स्तंभों द्वारा समर्थित वास्तुशिल्प से बना है। ये स्तंभ संभवतः एक मंदिर से जुड़े एक बड़े मंडप के अवशेष थे। स्तंभों को उनके मुखों पर विशाल मूर्तियों से सजाया गया था। पुजारीपाली में एक खंडहर ईंटों वाला मंदिर संभवतः जैनियों को समर्पित था क्योंकि इसके चारों ओर कई टूटी हुई जैन प्रतिमाएँ पड़ी थीं। दूसरे मंदिर में एक टूटी हुई मूर्ति थी जिसे मां बोर्रासेनी (बोर्राहासिनी) के नाम से जाना जाता था। एक जोगी वहाँ रहने के लिए आया था, रात में एक मूर्ति से आवाज आने पर जोगी ने उस शिलालेख मूर्ति के पेट में सब्बल से गुप्त खजाने निकाल कर जा रहा था, तो वह जोगी पत्थर में परिवर्तित हो गया, लोग उसे चोर पत्थर कहते हैं।

अतीत में हुए स्वर्ण वर्षा का क्षेत्र

जनश्रुति अनुसार अतीत में पुजेरीपाली क्षेत्र में स्वर्ण वर्षा हुआ था। इस कहानी को लोग हकीकत भी मानते हैं, जब यहां के नागरिकों को पुजेरीपाली के टिकरा क्षेत्र में उद्यान फसल, उड़द, मूंगफली आदि के लिए खुदाई के समय स्वर्ण के टुकड़े मिलता है। सोना मिलने की बात पुजेरीपाली के लोग स्वीकार करते हैं।

केवटिन देऊल महादेव मंदिर

जनश्रुति अनुसार किसी भी व्यक्ति के जगने के पूर्व इस मंदिर को एक ही रात में ही निर्माण करना था, लेकिन केंवट जाति की महिला ब्रम्ह मुहूर्त में उठकर ढेंकी से अपना कार्य करने लगी, जिसकी आवाज शिल्पी विश्वकर्मा देव तक पहुंची, लोग जग गए इसकी जानकारी मिलने पर निर्माणकर्ता विश्वकर्मा देव ने इस मंदिर के कलश स्तंभ आदि के निर्माण को अधूरा ही छोड़ दिया। इस कारण इस मंदिर का नामकरण केवटिन देऊल महादेव मंदिर है। लोग इस मंदिर को पाताल से जुड़ा मानते हैं और पूजा विधान में जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हुए जल भराव करने की कोशिश की जाती रही है और आज तक शिव लिंग का जल भराव नहीं कर पाए हैं।

मंदिर की संरचना

केवटिन देऊल महादेव मंदिर पूर्व की ओर मुख वाला है और इसमें एक चौकोर गर्भगृह, अंतराल और एक मुख-मंडप है। मुख-मंडप एक आधुनिक निर्माण है। मंदिर अपने दरवाजे के फ्रेम को छोड़कर ईंटों से बना है। मंदिर का विमान पंच-रथ पैटर्न का अनुसरण करता है। अधिष्ठान में खुर, कुंभ, कलश, अंतरपट्ट और कपोत से बनी कई साँचे हैं। कुंभ साँचे पर चंद्रशाला की आकृतियाँ उकेरी गई हैं और कलश को पत्तों की आकृतियों से सजाया गया है। जंघा को दो स्तरों में विभाजित किया गया है, जिन्हें बंधन साँचे द्वारा अलग किया गया है। निचले स्तर पर बाड़ा-रथ में एक गहरा आला है, कर्ण-रथ पर अधूरे चंद्रशाला रूपांकन हैं और प्रति-रथों पर अल्पविकसित आयताकार उभार हैं। ऊपरी स्तर पर रथों के ऊपर अनियमित डिज़ाइन हैं ; कुछ स्थानों पर, हम आले और अन्य क्षेत्रों में अल्पविकसित डिज़ाइन देखते हैं। लैटिना नागर शैली के शिखर में छह भूमियाँ (स्तर) हैं। एक भूमि-अमलक प्रत्येक भूमि को सीमांकित करता है। कर्ण-रथों पर बरामदे के ऊपर भारवाहक रखे जाते हैं। शिखर पर ओडिशा के मंदिरों का प्रभाव है। ओडिशा की सीमावर्ती गाँव से है, इसलिए ओडिशा क्षेत्र का प्रभाव स्वाभाविक है।

मां बोर्राहासिनी मंदिर परिसर में गोपाल मंदिर

मां बोर्राहासिनी मंदिर परिसर में गोपाल मंदिर स्थित है। यह प्राचीन स्थापत्य कला के टुकड़ों से बना एक आधुनिक परिसर है। इसमें गाँव में खोजी गई विभिन्न मूर्तियाँ और शिल्प हैं। यहाँ पाए गए एक शिलालेख के कारण मंदिर को गोपाल मंदिर के रूप में जाना जाता है। शिलालेख में गोपालदेव का उल्लेख है। मंदिर का भग्नावशेष है और 1909 में लॉन्गहर्स्ट द्वारा ली गई तस्वीर की तुलना में इसके अधिकांश घटक नष्ट हो गए हैं। मूर्तियों को मंदिर में सुरक्षा ग्राम पंचायत की ओर से की जा रही है। पश्चिमी और उत्तरी दीवारें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। पूर्वी दीवार आंशिक रूप से बची हुई है। मंदिर पूर्व की ओर है और इसमें अच्छी शिल्पकला का एक द्वार है। प्रवेश द्वार के चौखट पर नदी देवियों की बड़ी-बड़ी छवियाँ उकेरी गई हैं। इन छवियों के ऊपर दो मूर्तिकला पैनल हैं; एक में केशी-वध को दर्शाया गया है, जिसमें कृष्ण, केशी घोड़े का वध कर रहे हैं, और दूसरे में पूतना-वध को दर्शाया गया है, जिसमें कृष्ण पूतना के दूध को पी रहे हैं। मंदिर विष्णु को समर्पित था। मंदिर के पत्थर के शिलालेख में राजा गोपाल द्वारा युद्ध में अनुग्रह प्राप्त करने के लिए विभिन्न मातृकाओं और योगिनियों की पूजा करने का उल्लेख है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ हम पाते हैं कि कलचुरी राजाओं ने अपने प्रयासों में सफलता प्राप्त करने के लिए योगिनियों या मातृकाओं की पूजा की थी। भेड़ाघाट का योगिनी मंदिर ऐसे ही एक उदाहरण है।

पुरातत्व खोज का इतिहास

जे.डी. बेगलर शहर की प्राचीन वस्तुओं पर रिपोर्ट करने वाले पहले आधुनिक विद्वान थे। उन्होंने 1875 में यहां का दौरा किया था। उन्होंने उल्लेख किया है कि पंचधार गांव में महादेव का एक खंडहर ईंटों वाला मंदिर और दूसरा गोपाल मंदिर, परंपराओं के अनुसार यह मंदिर राजा दामा घोस का था, और उनकी रानी का नाम देइमती था। यह वही रानी है जिसने पंचधार और रानी के झूले में एक तालाब बनवाया था। गांव का प्राचीन नाम सकरस नगर था। बेगलर ने ऊपर वर्णित शिलालेख को संबलपुर संग्रहालय में जमा कर दिया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1881-82 में शहर का दौरा किया। उन्हें बताया गया कि पुजारीपाली में कभी 120 मंदिर हुआ करते थे। हालांकि, उन्हें केवल तीन मंदिर मिले, जिनमें से दो खड़े थे और एक खंडहर था। खंडहर मंदिर को रानी के महल के नाम से जाना जाता था। दो खड़े मंदिर ईंटों से निर्मित थे और शिव को समर्पित थे। हालांकि, सरिया के मंदिर में जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति रखी गई थी। डीआर भंडारकर ने 1903-04 में इस जगह का दौरा किया और इसका वर्णन किया। एएच लॉन्गहर्स्ट ने 1909-10 में शहर का दौरा किया। उनका कहना है कि दोनों ईंट मंदिर मूल रूप से सेल नींव वाले ऊंचे चबूतरे पर खड़े थे। इन मंदिरों में मूल रूप से पत्थर के दरवाजों के साथ ईंट के बरामदे थे। दोनों मंदिरों पर कभी प्लास्टर की एक पतली परत से ढके होने के संकेत मिलते हैं।

महत्वपूर्ण एवं खास

दुकान में आग लगने के बाद फटे तीन सिलेंडर ने मचाई तबाही

रायगढ़ (आरएनएस)। शहर के ढिमरापुर रोड स्थित होटल 'मुरारी द किचन' में देर रात अचानक आग लग गई. भीषण तपीश होटल में रखे तीन सिलेंडरों के फटने से आग बगल के दुकान तक फैल गई. अफरा-तफरी के बीच सुबह फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुरारी द किचन' में आग लगने से गैस सिलेंडर के फटने से आस-पास भी आग फैल गया, जिससे होटल से सटी दुकान एनएस डेकोर भी जलकर खाक हो गई. आगजनी से लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान का अनुमान लगाया गया है. गनीमत रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई.सूचना पर मौके पर पहुंचे आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाडिय़ों की मदद से आग पर काबू पाया गया. इस दौरान सिटी कोतवाली पुलिस और नगर निगम की टीम भी मौके पर मौजूद रही।

एसबीआई के 13775 पद के लिए 7 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। भारतीय स्टेट बैंक के 13775 जूनियर एसोसिएट (कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स) की भर्ती की ऑनलाइन आवेदन 7 जनवरी 2025 तक किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी एसबीआई डॉटकोडॉट इन sbi.co.in में उपलब्ध है। इस वेबसाइट में स्नातक उत्तीर्ण युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

दूसरे की जमीन का सौदा तयक कर 1 करोड़ से अधिक की ठगी

रायपुर (आरएनएस)। भाठागांव चिंगरी नाला के पास स्थित भूमि को अपना बताकर 1 करोड़ 30 लाख की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर पुरानी बस्ती पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी मयूर निर्मल 32 वर्ष शिवनगर चंगोराभाठा का रहने वाला है। प्रार्थी ने पुरानी बस्ती थाना में शिकायत किया कि आरोपी आशीष बाजपेयी, सौम्या बाजपेयी सहित 2 अन्य ने चिंगरी नाला के पास स्थित रेखा गोयल के भूमि का स्वयं को मुख्यतयार नामा बताकर प्रार्थी के पास बिक्री करने के लिए सौदा तय किया और 1 करोड़ 30 लाख रुपए ले लिया। प्रार्थी को जब इस बात की जानकारी हुई तो उसने इसकी शिकायत पुरानी बस्ती थाना में की। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

नहीं जाएगी बीएड टीचर्स की नौकरी?.. चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में सरकार ने गठित की 5 मेम्बर्स की कमेटी..

रायपुर (आरएनएस)। बी.एड सहायक शिक्षकों की जगह पर डी.एड शिक्षकों को नियुक्त किये जाने के आदेश और इस बीच सहायक शिक्षकों के उग्र प्रदर्शन के बीच सरकार ने पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बने इस कमेटी में सचिव समेत चार अन्य सदस्यों को शामिल किया गया है। यह समिति बी.एड. प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों का परीक्षण करने के साथ ही और शासन को परामर्श देने का काम करेगी।

महिला से छेड़छाड़ के आरोपी को जूटमिल पुलिस ने त्वरित कार्यवाई कर किया गिरफ्तार

रायगढ़

जूटमिल थाना पुलिस ने महिला से छेड़छाड़ की घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी लक्ष्मीनारायण अजगल्ले को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। घटना 03 जनवरी की शाम की है, महिला ने अपने साथ हुई अभद्रता की शिकायत कल थाना जूटमिल में दर्ज कराई।

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि शाम करीब 6:00 बजे वह अपने घर से राशन का सामान लेने जा रही थी। रास्ते में लक्ष्मीनारायण अजगल्ले ने उसके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए कंधे पर हाथ रख दिया और उसकी शॉल खींचकर नीचे गिरा दी। जब महिला ने भागने की कोशिश की, तो आरोपी उसका पीछा करने लगा। इसी बीच कुछ जान-पहचान के लोग वहां पहुंचे और आरोपी को फटकार लगाई, जिसके बाद वह वहां से भाग गया।

महिला की शिकायत पर थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अपराध क्रमांक 5/2025 के तहत धारा 74, 76 बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज किया। पुलिस ने रात में ही दबिश देकर आरोपी लक्ष्मीनारायण अजगल्ले (उम्र 34 वर्ष) निवासी जूटमिल को हिरासत में लिया। आज उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

जूटमिल पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया और पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में कदम उठाया है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि इस तरह की घटनाओं की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

कोतरा रोड ने जब्त किया 17 लीटर महुआ शराब, दो आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक श्रीदिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन पर जिले में अवैध शराब के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में एडिशनल एसपी आकाश मरकाम, उप पुलिस अधीक्षक उत्तम प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में प्रशिक्षु आईपीएस हर्षित मेहर और निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना कोतरारोड़ की एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने ग्राम कांटाहरदी में दो अलग-अलग स्थानों पर आवाज शराब बिक्री करने की मुखबिर सूचना पर छापेमारी कर अवैध महुआ शराब, शराब बिक्री रकम जप्त की है।

पहली कार्रवाई:-

मुखबिर की सूचना पर ग्राम कांटाहरदी में ओमप्रकाश सिदार (पिता: स्व. उमित सिदार, उम्र: 19 वर्ष, निवासी: ऊपर बस्ती डीपापारा) के घर पर छापा मारा गया। जहां 7 लीटर महुआ शराब, 3 प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास,नगदी रु.150, कुल बरामद सामग्री की अनुमानित कीमत रु.850 जप्त किया गया।

दूसरी कार्रवाई:

दूसरी सूचना पर समारू निषाद (पिता: स्व. बरातू निषाद, उम्र: 32 वर्ष, निवासी: ऊपर बस्ती डीपापारा) के घर पर छापा मारा गया। इस कार्रवाई में 10 लीटर महुआ शराब (दो जरीकनों में) , 2 प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास, नगदी रु.100 कुल बरामद सामग्री की अनुमानित कीमत रु.1,100 जप्त किया गया है। इस प्रकार दोनों मामलों में कुल 17 लीटर महुआ शराब और रु.250 नगदी बरामद की गई है। आरोपियों के खिलाफ थाना कोतरारोड़ में धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।

इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक करुणेश राय, आरक्षक संदीप कौशिक, प्रवीण राज, संजय कुमार केरकेट्टा और महिला आरक्षक श्यामा सिदार ने सक्रियता दिखाते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पुलिस विभाग रायगढ़ जनता को आश्वस्त करता है कि अवैध शराब के कारोबार पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।

अवैध मवेशी तस्करी के फरार आरोपी को घरघोड़ा पुलिस ने किया गिरफ्तार

रायगढ़

थाना घरघोड़ा पुलिस ने एक पुराने मामले में फरार चल रहे अवैध मवेशी तस्करी के आरोपी खिलेश्वर दास बैरागी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इस मामले में 6 मवेशियों और एक महिंद्रा पिकअप वाहन को पहले ही जप्त किया जा चुका था।

मामले का विवरण:

22 अक्टूबर 2024 को मुस्तकिम खान (पिता: शमीम खान, उम्र: 32 वर्ष, निवासी: वार्ड नंबर 02, घरघोड़ा) ने थाना घरघोड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 20 अक्टूबर 2024 की रात वह अपने साथियों भरत निराला और सोनू खान के साथ घरघोड़ा-धरमजयगढ़ मार्ग के कंचनपुर तिराहे पर थे। उन्होंने देखा कि एक महिंद्रा पिकअप वाहन (क्रमांक CG-13-AD-6314) में मवेशियों को निर्दयतापूर्वक भरकर रायगढ़ से पत्थलगांव की ओर ले जाया जा रहा था। पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास करने पर चालक वाहन को तेजी से भगाते हुए बरघाट एसईसीएल कॉलोनी के पास पुल के नीचे छोड़कर फरार हो गया। वाहन में 6 मवेशी रस्सियों से बंधे हुए थे और अत्यधिक भूखे-प्यासे हालत में थे।

मुस्तकिम खान की शिकायत पर थाना घरघोड़ा में अपराध क्रमांक 303/2024 के तहत धारा 4, 6, 10 छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने मौके से 6 मवेशी और महिंद्रा पिकअप वाहन को जप्त कर मवेशियों को सुपुर्दनामा में सुरक्षित रखा।

पुलिस ने विवेचना दौरान आरोपी खिलेश्वर दास बैरागी पिता ध्रुवदास बैरागी उम्र 21 वर्ष साकिन कोडातराई गोहडीडीपा थाना जुटमिल रायगढ की तलाश जारी थी, जो घटना के बाद से फरार था। गहन तलाश और मुखबिर की सूचना पर आज आरोपी को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से वाहन की चाबी भी जप्त कर ली और उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक रामकिंकर यादव, सहायक उपनिरीक्षक विल्फ्रेड मसीह, आरक्षक आशिक पन्ना, दिलीप साहू, और धरेन्द्र गोंड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सरसींवां आबकारी टीम ने जब्त की लगभग दो लाख के अवैध शराब उत्पाद

❐ 160 लीटर शराब, 3 हजार किलो महुआ लाहन, गुड़ एवं 50 किलो सूखा महुआ जप्त

❐ शराब का 32 हजार और लाहन का बाजार मूल्य डेढ़ लाख

सारंगढ़ बिलाईगढ़

आबकारी आयुक्त सह सचिव आर संगीता और कलेक्टर धर्मेश साहू के निर्देश पर रविवार को छीरचूंवा साबरिया डेरा में कार्रवाई किया गया। सरसींवां आबकारी टीम ने गांव के बाहर स्थित नाले के पास महुआ शराब बनाने के लिए कुल 03 जगहों पर टीम के साथ पहुंचकर कार्यवाही की गई। इन शराब बनाने के ठिकानों में चढ़ी हुई 03 भट्ठी तथा मदिरा बनाने हेतु समान , बर्तन , गुड़ , महुआ पालीथीन की बड़ी बड़ी झिल्ली आदि मिले इन जगहों से 06 सफेद रंग के पालीथीन के अंदर भरा 20-20 लीटर एवम 01 नीले रंग के जरीकेन में भरा 40 लीटर कुल जब्त मात्रा 160 लीटर कच्ची महुआ शराब को जब्त किया गया। महुआ लाहन जो की जुट बोरियो के अंदर पालीथीन में भर कर नाले के पानी में डाला गया था, के कुल 60 नग प्रत्येक में भरा 50-50 किलोग्राम कुल मात्रा 3000 किलोग्राम को जब्त किया गया। कच्ची महुआ शराब को कब्जा आबकारी विभाग द्वारा लिया गया एवम विधिवत रूप से महुआ लाहन का नष्टीकरण किया गया। अज्ञात आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम धारा 34(1)(क) (च), 34(2) का , प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। इस कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक विपिन पाठक, आबकारी मुख्य आरक्षक फागुलाल टंडन सुरक्षा गार्ड लोचन साहू तथा ड्राइवर रामदुलार पटेल का विशेष योगदान रहा।

राष्ट्रीय सुरक्षा माह 2025

रायगढ़ में यातायात पुलिसकर्मियों ने ट्रेफिक नियमों का पालन करने और आमजन को जागरूक करने की ली शपथ

रायगढ़

जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा माह 2025 के तहत यातायात जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य जनता को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के महत्व के प्रति जागरूक करना है।

कार्यक्रमों की शुरुआत में थाना यातायात रायगढ़ के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा शपथ ग्रहण ली गई। उन्होंने यातायात नियमों का पालन करने और आमजन को भी इन नियमों के प्रति जागरूक करने की शपथ ली। इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि सड़क सुरक्षा सभी की जिम्मेदारी है, और प्रत्येक नागरिक को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

जिले में पूरे माह विभिन्न स्थानों पर जागरूकता शिविर, रैली, और सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। इनमें स्कूलों, कॉलेजों, और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को यातायात नियमों के पालन की आवश्यकता के बारे में बताया जाएगा।

यातायात थाना प्रभारी ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे सड़क पर चलते समय हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, और गति सीमा का पालन करने जैसे बुनियादी नियमों का पालन करें।

राष्ट्रीय सुरक्षा माह के इस अभियान के तहत लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति अधिक जिम्मेदार और जागरूक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यातायात पुलिस का कहना है कि यह अभियान लोगों को जागरूक करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

ग्राम जोरापाली में यातायात पुलिस द्वारा हेलमेट वितरण एवं जागरूकता अभियान

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 के तहत ग्राम जोरापाली में यातायात पुलिस ने बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चला रहे वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की और उन्हें निशुल्क हेलमेट वितरित किए। पुलिसकर्मियों ने वाहन चालकों को समझाया कि वे हमेशा यात्रा के दौरान हेलमेट पहनें, क्योंकि हेलमेट सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा, उन्हें यातायात नियमों का पालन करने और तेज गति से वाहन न चलाने की अपील की गई। पुलिस ने यह भी सलाह दी कि शराब पीकर कभी भी वाहन न चलाएं, क्योंकि इससे न केवल उनकी बल्कि अन्य लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है।

यह पहल सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि नागरिक सुरक्षित यातायात व्यवस्था में हिस्सा लें और सड़क पर सुरक्षित यात्रा करें।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480